<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, **RAS**

<u>प्रकरण संख्या —164 / 2021</u>

<u>दायर दिनांक— 18.03.2021</u>

श्री नारायणलाल पिता श्री बालू जी कुम्हार उम्र— वयस्क निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

...............अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री छोगालाल पिता श्री किशनलाल दर्जी उम्र— वयस्क निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री किशनलाल दर्जी उम्र—वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
3. श्री मिट्ठुलाल पिता श्री किशनलाल दर्जी उम्र—वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
4. श्रीमती इन्द्रबाई बेवा श्री किशनलाल दर्जी उम्र—वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
5. श्री दिनेश पिता श्री उदा जाट उम्र—वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
6. श्री नन्दलाल पिता श्री रतीचन्द्र चौधरी उम्र—वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

.... रेस्पोंडेण्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.06.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ बसिलसिले मुकदमा नं0 105 / 2017</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट ।
2. श्री संजय सेन, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट सं0 1से 3

<u>—:: निर्णय ::—</u>

<u>दिनांक— 09.07.2021</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बोहेड़ा की आराजी संख्या 216 की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के

लिए दिनांक 01.06.2017 को पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को दिनांक 02.06.2017 को दर्ज कर अपीलाण्ट विपक्षी को सुने बिना पत्थरगढ़ी का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर विपक्षी संख्या 1 अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.11.2020 को पेश की । अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ–पत्र भी पेश किया । अपीलाण्ट के दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट्स को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन ने उपस्थिति दी। रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 के विरूद्ध अपीलाण्ट कार्यवाही नहीं चाहता है, अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है । रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । दौराने बहस वकील अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुने बिना निर्णय पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक आराजी नं0 216 के लिए आदेश किये थे जबकि पत्थरगढ़ी नये नम्बर 355 के आधार पर करने का परचा मौका बनाया गया है । वकील रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताया व अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने सुनी गयी बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध अपीलाण्ट व अन्य विपक्षीगण को सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक नम्बरों के आधार पर पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अद्यतन रेकर्ड की जांच कर आदेश पारित करना चाहिये था ।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक, विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.09.2021 को उपस्थित हों ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर